(6)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका, बालोतरा

मामला सं.   और वर्ष

1. श्री / श्रीमती ....छगनलाल / मानाराम जाति मेघवाल

   पता :......खेड़.........

विषय :— राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

।। आदेश।।

दिनांक :

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :—

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :—

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
पचपदरा, बाड़मेर	खेड़	986/305	8 बीघा
पचपदरा, बाड़मेर			

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रुप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों / कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना / विकास योजना / स्कीम के अनुरुप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

आयुक्त
नगर परिषद बालोतरा

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 986/300 माप 8 बीघा में हक हिस्सा (हैक्टर/बीघा) की ग्राम डोई तहसील पचपदरा में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
न.पा.बालोतरा

सं. 5402

दिनांक 2.9/6/17

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गई –

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण ....
2. तहसीलदार, पचपदरा तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 3 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. हल्का पटवारी, ...
4. श्री ....

प्राधिकृत अधिकारी
न.पा.बालोतरा

आयुक्त
नगर परिषद, बालोतरा

PROPOSED SITE OF CHANGE IN LAND USE OF-
KHASRA NO-986/305,(TOTAL LAND AREA = 8-00 VIGHA)
SARHAD MOZA-VILLAGE - KHED ,TEHSIAL-PACHPDRA ,
DISTT -BARMER (RAJ.)

NAME OF OWNER :- SH. CHHAGAN S/O SH. MANA RAM MEGWAL

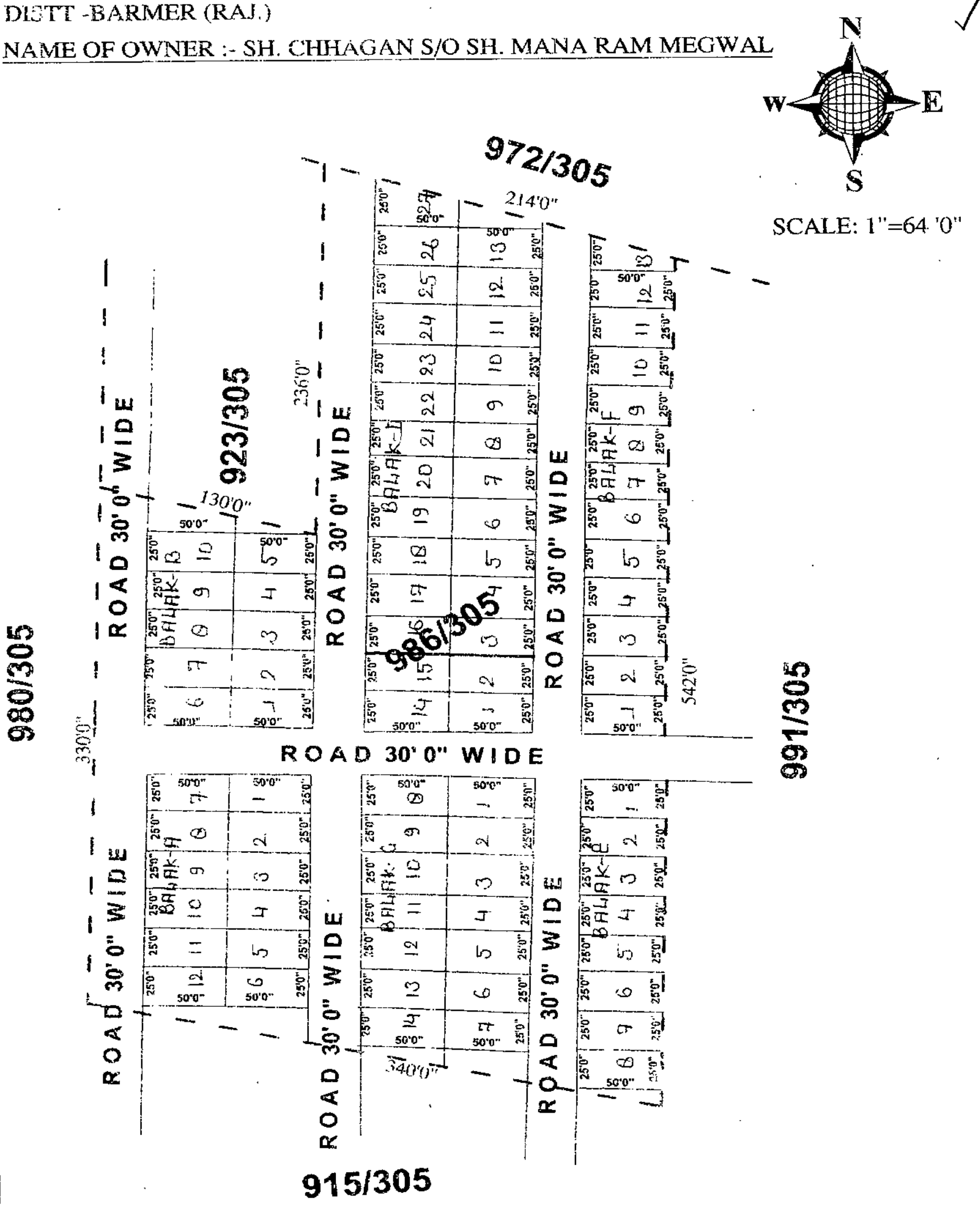

AREA ANALYSIS

PLOTS AREA= 96584.72 Sqft,
69.29% (10731.64 Sq.Yards)

ROADS AREA = 42807.28 Sqft.,
30.71% (4756.36 Sq.Yards)

TOTAL LAND AREA =8.00 VIGHA(132'X 32')
= (139392.00 Sqft
(15488.00 Sq.Yards)

संकेत

— — — खसरा बाउन्ड्री

आयुक्त

आवेदक के हस्ताक्षर